

आवेदन पत्र (विषय विशेषज्ञ)

(निःशुल्क सैटकॉम कोचिंग योजना हेतु विषय विशेषज्ञों के पैनल तैयार किये जाने हेतु)

- 1 नाम :
- 2 पिता/पति का नाम :
- 3 जन्म तिथि :
- 4 स्थाई निवास/ पत्र व्यवहार का पता :
- 6 फोन न0/ मो. नम्बर/ ई मेल :
- 7 शैक्षणिक योग्यता का विवरण :

अभ्यर्थी का
पासपोर्ट साईज
फोटो
हस्ताक्षरमय

क्र.सं.	परीक्षा	विषय	वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत / श्रेणी

- 8 व्याख्यान हेतु विषय :
- 9 शिक्षण अनुभव :
- 10 प्रथम नियुक्ति दिनांक एवं पद :
- 11 वेतन एवं वेतनमान :
- 12 वर्तमान में धारित पद :
- 13 कार्यालय/ स्कूल/ कॉलेज का नाम एवं स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर दिनांक सहित

संलग्न सत्यापित प्रतिलिपि

- 1 उपाधि /अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि :
- 2 विभागाध्यक्ष/नियोक्ता अधिकारी की सहमति :

नोट:-

1. आवेदन पत्रों की छंटनी एवं चयन विभागीय चयन कमेटी द्वारा किया जायेगा।
2. चयन कमेटी द्वारा साक्षात्कार के आधार पर पैनल तैयार किया जायेगा।
3. योजना में व्याख्यानों की अवधि 4 जून से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष (2014-2015) में होने वाली इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षा तिथि तक रहेगी।
4. व्याख्यान दिये जाने का समय एवं दिनांक विभाग द्वारा तय किया जायेगा।
5. तय तिथि को व्याख्यान न दे पाने की स्थिति में विभाग को तीन दिन पूर्व सूचित किया जायेगा।
6. चयनित विषय विशेषज्ञों को अपनी सेवाये उपलब्ध करने संबंधी एक सहमति पत्र देना होगा।
7. विषय विशेषज्ञों द्वारा दिये गये व्याख्यान के नोट्स (हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में) इस विभाग को व्याख्यान देने से पूर्व एक प्रति में उपलब्ध कराने होंगे। व्याख्यानों के नोट्स इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षा की महत्ता के अनुरूप होंगे।
8. दिये जाने वाले व्याख्यान एवं नोट्स पूर्णतः हिन्दी में होंगे, साथ ही शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में एनिमेशन, ग्राफिक्स, पावर पाइन्ट को समाविष्ट किया जाना है।
9. व्याख्यान देने के लिये सैटकॉम स्टूडियों पर आने विभाग द्वारा कोई यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं अन्य कोई भत्ता देय नहीं है।
10. चयनित विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों को नियमित करना, विद्यार्थियों से मिले फीडबैक के आधार पर होगा।
11. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जानी है।
12. राजकीय सेवा में कार्यरत विषय विशेषज्ञ को उचित माध्यम से आवेदन योजना आरम्भ होने की तिथि से पूर्व भिजवाना होगा एवं अभी अग्रिम आवेदन पत्र भिजवा सकते हैं।
13. चयनित विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान देने के कार्य से उनका कोई अधिकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में नियुक्ति हेतु सृजित नहीं होगा।

निदेशक